



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22082024-256570
CG-DL-E-22082024-256570

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3248]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 22, 2024/श्रावण 31, 1946

No. 3248]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 22, 2024/SHRAVANA 31, 1946

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 2024

का.आ. 3564(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इस के पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. **S.O. 2313(E)**. तारीख **14/06/2024**, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा महाराष्ट्र राज्य के लातूर जिले में NH548B के कि.मी. 226.866 से कि.मी.228.042 (उपविभागीय दंडाधिकारी कार्यालय, दत्तनगर, निलंगा) तक के भूखण्ड पर पुल के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख **"02/08/2024 "** को **" राजधर्म "** और **" प्रतिव्यवहार "** दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के लातूर जिले में NH548B के कि.मी. 226.866 से कि.मी.228.042 (उपविभागीय दंडाधिकारी कार्यालय, दत्तनगर, निलंगा) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र			जिले का नाम: लातूर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: निलंगा					
गांव का नाम: नदी हात्तर्ग					
1	13/बी	निजी (निजी)	एग्रीकल्चर	0.04	माधव एकनाथ घोड़के 13/B
2	13/बी	निजी (निजी)	एग्रीकल्चर	0.01	सुरेश शहाजीराव घोड़के 13/B
Total				0.05	

[फा. सं. 12037/51/2017-MAH(P-6)/3D]

अभय जैन, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd August, 2024

S.O. 3564(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **S.O. 2313(E). Dated:14/06/2024**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for construction of Major Bridge/2 Lane with Paved Shoulder, Maintenance, management and operation of NH548B in the stretch of land from Km. 226.866 to Km. 228.042 (Sub Divisional Magistrate Office, Dattanagar, Nilanga) in the district of Latur in the state of MAHARASHTRA

And whereas the substance of the said notification has been published in “**Rajdharm**” and “**Prativyavahar**” both dated **02/08/2024**; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH548B in the stretch of land from Km. 226.866 to Km. 228.042 (Sub Divisional Magistrate Office, Dattanagar, Nilanga) in the district of Latur in the state of MAHARASHTRA

State: MAHARASHTRA			District: Latur		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Nilanga					
Village: Nadi Hattarga					
1	13/B	Private	Agriculture	0.04	Madhav Eknath Ghodke 13/B
2	13/B	Private	Agriculture	0.01	Suresh Shahajirao Ghodke 13/B
Total				0.05	

[F. No. 12037/51/2017-MAH(P-6)/3D]

ABHAY JAIN, Director